भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4106

जिसका उत्तर गुरुवार, 07 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है

दिव्यांगजनों के लिए कानूनी सहायता

4106 डा. अमर पटनायक :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय किए हैं कि दिव्यांगजनों को अन्य व्यक्तियों के समान न्याय प्राप्त हो ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने अपने 'इंचियोन स्ट्रैटीजी टू मेक द राइट रियल फॉर पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज़' के अनुसरण में कोई उपाय किए/कदम उठाए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस प्रकार की पहल, यदि की गई हो, से कितने दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : जी, हां । सरकार ने, साधारण व्यक्ति, जिसमें दिव्यांगजन भी हैं, को सस्ता, गुणवत्तापरक और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए अनेक उपाय किए हैं । विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 समाज के कमजोर वर्गों, जिनमें अधिनियम की धारा 12 के अधीन आने वाले हिताधिकारी भी हैं, को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय प्राप्त करने के अवसरों से कोई भी नागरिक, आर्थिक या अन्य दिव्यांगताओं के कारण वंचित न रह जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतें आयोजित करना कि विधिक प्रणाली का प्रवर्तन समान अवसरों के आधार पर न्याय का संवर्धन करता है । इस प्रयोजन के लिए, तालुक न्यायालय स्तर से उच्चतम न्यायालय स्तर तक विधिक सेवा संस्थाएं स्थापित की गई हैं । न्याय तक साम्यापूर्ण पहुंच को समर्थ बनाने के अतिरिक्त, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

(नाल्सा) ने साधारण नागरिकों, जिनके अंतर्गत दिव्यांगजन भी हैं, के लिए विधिक सहायता तक सहज पहुंच को समर्थ बनाने हेतु, एनरायड और आईओएस वर्जन पर विधिक सेवा मोबाइल ऐप की भी शुरूआत की है ।

(ग) से (ङ) : भारत, एशिया और प्रशांत देशों में दिव्यांगजनों के लिए इंचियोन स्ट्रैटीजी "टू मेक द राइट रियल" का पक्षकार है । इसने, निर्धनता में कमी और कार्य तथा रोजगार संभावनाओं में वृद्धि करना, राजनीतिक प्रक्रिया और विनिश्चय करने में भागीदारी को बढ़ावा देना, अवरोध मुक्त वातावरण का सृजन, सामाजिक संरक्षा का सुदृढ़ीकरण, दिव्यांग बालकों का प्रारंभिक हस्तक्षेप और शिक्षा को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना, दिव्यांगता - समावेशी आपदा जोखिम कटौती और प्रबंधन को बढ़ावा देना, दिव्यांगता डाटा की विश्वसनीयता और तुलनात्मकता में सुधार करना, यूएनसीआरपीडी के सुधार और कार्यान्वयन को त्वरित करना तथा राष्ट्रीय विधियों को सुमेलित करना और उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय एवं अन्तर-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने जैसे 10 लक्ष्य तय किए गए हैं ।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपी डब्ल्यूडी एक्ट), 2016 भी अधिनियमित किया है, जो 19.04.2017 को प्रवृत्त हुआ था । अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकारी नियोजन में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण, उनके लिए सुगम्य विशेषता का सृजन, केंद्रीय और राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के माध्यम से विनिश्चय करने में दिव्यांगजनों की भागीदारी, समावेशी शिक्षा आदि का उपबंध करता है । उक्त अधिनियम की धारा 12, विशिष्ट रूप से न्याय तक पहुंच से संबंधित है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, समुचित सरकार के लिए यह आज्ञापक बनाती है कि वह दिव्यांगजनों द्वारा उनकी अपनी पसंद की भाषा और संचार के साधनों में दिए साक्ष्यों, तर्कों या राय के लिए उपबंध करे ।

29,050 दिव्यांगजनों को अप्रैल, 2018 से जनवरी, 2022 के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन विधिक सेवाएं प्रदान की गई हैं ।

****